न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 24/2024

बउनवान

1. जोधराज आयु 52 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल
2. भीमराज आयु 55 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल
3. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल
4. नन्दलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल
5. उर्मिलाबाई आयु 58 वर्ष पुत्री श्री रतनलाल जातिगण मीणा निवासीगण ग्राम थामली तहसील बांरा जिला बांरा राज० अपीलांटगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
2. आयुक्त, नगर परिषद बारां, जिला बारां, राज0 रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

बनाराजगी नामां. सं. 714 ग्राम नलका तहसील बारां दिनांक 05.08.2016 तहसीलदार बारां बाबत आराजी वाके ग्राम नलका तहसील बारां की खसरा नं. 613/77 रकबा 0.68 है. माल प्रथम

उपस्थितः 1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेण्ट)

निर्णय दिनांक 16.02.2026

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नलका तहसील बांरा में खसरा नं. 617/77 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि माल प्रथम राजस्व कागजात मे संम्बत् 2067–2070 की जमाबन्दी मे रतनलाल पुत्र विशनलाल जाति मीणा निवासी थामली के खाते में दर्ज है, जो अपीलार्थीगण का पिता था। सम्बत् 2071 से 2074 की जमबान्दी मे भी यह भूमि रतनलाल के नाम दर्ज थी। रतनलाल पुत्र बिशनलाल जाति मीणा की दिनांक 21.08.2015 को मृत्यु हुयी है। नामान्तरकरण सं. 714 ग्राम नलका का जो विवादित भूमि का है. रतनलाल पुत्र बिशनलाल की मृत्यु से पूर्व का है, जब रतनलाल पुत्र बिशनलाल की मृत्यु दिनांक 21.08.2015 को हो गयी थी तो तहसीलदार ने उसका नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज न करके सीधे ही नगरपरिषद के नाम कैसे दर्ज करदी, इसका कोई आधार नहीं है। इन्तकाल नं. 714 को देखने से यह पता लगता है कि नगरपरिषद के नाम इन्तकाल स्वप्रेरणा से दर्ज किया है जो रूपान्तरण शाखा से दर्ज हुआ है, यदि रतनलाल द्वारा कोई रूपान्तरण की पत्रावली नगरपरिषद मे पेश हुयी है तो जिस दिन नामान्तरकरण दर्ज हुआ उस दिन रतनलाल पुत्र बिशनलाल मीणा की मृत्यु हो चुकी थी तथा नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियो/कर्मचारियों ने प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी क्योकि जब रतनलाल पुत्र बिशनलाल दिनांक 21.08.2015 को फोत हो गया तो 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित तहसीलदार को उसके वारिसान के नाम जो अपीलार्थीगण है, के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिये था या रतनलाल के वारिसान जो अपीलार्थीगण है, को सूचना देनी चाहिये थी। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारियो ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया तथा नामान्तरकरण मरे हुये व्यक्ति की फायल के अनुसार नगरपरिषद के नाम भूमि दर्ज करदी जबकि अपीलार्थीगण रतनलाल पुत्र बिशनलाल के वारिसान है तो पहले उसका फोती इन्तकाल अपीलार्थीगण के नाम दर्ज होना चाहिये था तथा उसके बाद अग्रिम कार्यवाही करनी [illegible] कर्मचारियों ने ऐसा नहीं करके अपीलार्थीगण के साथ भारी अन्याय किया है। वादग्रस्त [illegible] समय मे भी खाली पडी हुयी है उस पर कोई निर्माण कार्य नही हो [illegible] आज भी काश्त की भूमि है तो नगरपरिषद के नाम जो [illegible] के नाम [illegible] धोखाधडी हुयी है, वह फर्जी कार्यवाही है इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलार्थीगण के हितो विपरीत प्रभाव पडा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण सं० 714 ग्राम नलका तहसील बांरा दिनांक 05.08.2016 तहसीलदार बांरा बाबत आराजी वाके ग्राम नलका तहसील बांरा की खसरा नं. 613/77 रकबा 0.68 हैक्टर माल प्रथम को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के नाम पुनः इन्तकाल खोले जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से पेरोकार सरकार तथा रेस्पो. कम 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस उभयपक्ष हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. कम 2 एवं रेस्पो. कम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर हमने बहस उभयध्पक्ष अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खातेदार रतनलाल पुत्र बिशनलाल की मृत्यु दिनांक 21.08.2015 को हो गयी थी तो तहसीलदार ने उसका नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज न करके सीधे ही नगरपरिषद के नाम कैसे दर्ज करदी, इसका कोई आधार नहीं है। इन्तकाल नं. 714 को देखने से यह पता लगता है कि नगरपरिषद के नाम इन्तकाल स्वप्रेरणा से दर्ज किया है जो रूपान्तरण शाखा से दर्ज हुआ है, यदि रतनलाल द्वारा कोई रूपान्तरण की पत्रावली नगरपरिषद मे पेश हुयी है तो जिस दिन नामान्तरकरण दर्ज हुआ उस दिन रतनलाल पुत्र बिशनलाल मीणा की मृत्यु हो चुकी थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

बहस के दौराने पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खंडन करते हुए कथन किया कि ग्राम नलका की आराजी खसरा नंबर 613/77 रकबा 0.68 है. प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद् बारां के आदेश दिनांक 27.07.2016 से नगर परिषद् बारां के नाम दर्ज हुई है। आयुक्त नगर परिषद बारां के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा में अपील पेश की जिसमें दिनांक 27.02.2025 को निर्णय पारित किया जाकर नगर परिषद बारां द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद बारां को प्रकरण रिमांड किया गया है। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खादिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया चूंकि माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा द्वारा अपीलांटगण की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त, नगर परिषद, बारां को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested